

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर।

परिवाद संख्या 1071/2023

श्री कृष्ण बनाम कमलेश आदि।

थाना खुर्जा नगर, जिला-बुलन्दशहर।

दिनांक 17.06.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि उक्त वाद में परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहा है और ना ही उसकी ओर से कोई हाजिरी माफी/स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को उक्त वाद को अग्रसारित किये जाने में अब कोई रुचि नहीं रही है। परिवादी के अनुपस्थित रहने व परिवाद पर बल ना दिये जाने की दशा में, परिवादी का उक्त परिवाद अन्तर्गत धारा- 203 दं०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद सं०- 1071/2023 खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

(प्रियंवदा चौधरी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।
J.O.Code- U.P.3303